

विभाग
प्रशिक्षण एवं सेवाशाखा,
एनआईटीए, लखनऊ।

पदाधिकाारी/प्रबन्धक
आईआईटीए-ऑनलाइन प्रशिक्षण संस्था,
सर्वशिक्षण अखीयक।

पत्रांक / टी-3/राज्य/भा0सं0संस्तुति लखनऊ दिनांक: 2012-07-27
विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी आईआईटीए के व्यवसाय/पुनर्निर्देशन का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय राजगढ़ एवं प्रशिक्षण, डी0पी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपकी सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24-5-2012 पर दिनांक 27-07-2012 को महानिदेशालय, सेवाशाखा एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	*	SCIR-24/5/12 W.o.f. Aug 2012 *Exp.certificate of Sh.Amit Kumar Yadav should show the appointment date correctly.Requisite experience of instructor should be sent/appoint new instructor.S/D to forward.
2-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	

DGET-6/24/143/2012 -TC DATED 27/07/2012

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पत्रक निरीक्षण रिपोर्ट

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतवाई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा बतवाई गई कमियों/त्रुटियों को दायित्व व्यक्तियों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यक्तियों में प्रवेश न करें। इन व्यक्तियों को प्रवेश देने से आपके संस्थान के प्राप्तिशायियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जावेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(सहल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

5378

पत्रांक: / टी-3/राज्य/भा0सं0संस्तुति/ तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष0)बरेली को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दे तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(सहल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)